(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/21/2017	19–07–2017	17–05–2018

1–श्रीमति शांति देवी पुत्री श्री बिरजा पत्नी श्रो लक्ष्मीनारायण जाति सैनी निवासी ग्राम जटियाना तहसील अलवर हाल निवासी ग्राम चोरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1– महेश
2– गजेन्द्र
3– मुकेश पुत्रान श्री कैलाश चन्द जाति सैनी निवासी छतरी का कुआ प्रताप बास अलवर
4– ईश्वरी लाल सैनी
5– डालचन्द पुत्र श्री ईश्वरी लाल सैनी
6– अंजली पुत्री श्री ईश्वरी लाल सैनी जाति सैनी निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर वारिस मृतक आशा पुत्री कैलाश चन्द
7– अनीता
8– निर्मा पुत्रीयान कैलाश चन्द
9– श्रीमति पार्वती उर्फ सिंगारी देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति सैनी निवासी छतरी का कुआ प्रताप बास।

रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 18.09.1996 नामान्तकरण संख्या 516 ग्राम चौरोटी पहाड तह0 रामगढ जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री मुनीराम यादव –वकील अपीलान्ट
02. श्री जे.सी. सतीजा –वकील रेस्पाडेन्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 18.09.1996 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 516 ग्राम चौरोटी पहाड, तहसील रामगढ जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 13 बिस्वा, 349 रकबा 15 बिस्वा, 350 रकबा 11 बिस्वा की सालिम एवं आराजी खसरा नं0 421 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा सालिम व 113 रकबा 9 बिस्वा में से 1/16 हिस्सा ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ में स्थित है। इंतकाल संख्या 516 दिनांक 18.09.1996 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की गैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मोजूदगी में पारित किया है, अपीलान्ट को उक्त इंतकाल की जानकारी दिनांक 29.06.2017 को हुई। अपीलान्ट द्वारा शीघ्र नकल लेकर अपील दायर की गई। इसलिये मियाद के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाकर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कब्जे व मौके के खिलाफ है। उक्त विवादित आराजी में एक रिहायशी मकान व चार दिवारी बनी हुई है। उक्त आराजी का खातेदार मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का पिता बिरजा पुत्र धुडिया जाति माली निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ था। बिरजा अत्यधिक वृद्ध होने के कारण अपीलान्ट की माता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के साथ रहता था, और अपीलान्ट ही उसकी सेवा करती थी। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 08.09.1996 को ग्राम जटियाना में हो गया। उसका दाह संस्कार अपीलान्ट द्वारा किया गया। बिरजा के स्वर्गवास के बाद उसकी विरासत मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को प्राप्त हुई। विवादित आराजी मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 9 की पैतृक सम्पत्ति है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया, वर्तमान में मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का अपने अपने हिस्से सामलात कब्जा है। उक्त विवादित आराजी में मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 9 के पिता को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। मिन अपीलान्ट के पिता बिरजा ने अपने जीवन काल में दिनांक 13.05.1996 को कोई विक्रय पत्र नहीं कराया ना ही कब्जा हस्तानान्तरित किया लेकिन दिनांक 13.05.1996 को रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व उसका पति कैलाश चन्द अपीलान्ट के धर आये और अपीलान्ट के पिता बिरजा को डॉक्टर को दिखाकर लाने के बहाने से साथ ले गये और उक्त विवादित आराजी का विक्रय पत्र मृतक कैलाश चन्द ने अपने हक में करा लिया, जिस बयनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायात 9 के पति/पिता कैलाश चन्द के हक में इंतकाल तस्दीक कर दिया। उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1996 को निरस्त कराने के लिये एक सिविल वाद शांति देवी बनाम कैलाश चन्द पेश किया गया, जो सिविल वाद संख्या 15/97 अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर द्वारा दिनांक 23.10.1999 को डिक्री किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बयनामे दिनांक 13.05.1996 को शून्य धोषित किया गया। अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस जारी नहीं किया गया। कैलाश चन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्स हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ का आदेश दिनांक 18.09.1996, इंतकाल संख्या 516 ग्राम चौरोटी पहाड अपास्त फरमाया जावे तथा मिन अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज कर इंतकाल तस्दीक कर पारित किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता बिरजा द्वारा अपने जीवन काल में जरिये रजिस्टर्ड बयनामा उक्त आराजी का बेचान कैलाश चन्द को किया गया था, जिसका नामान्तरकरण संख्या 516 दिनांक 18.09.1996 नियमानुसार अधीनस्थ द्वारा तस्दीक किया गया। विवादित आराजी पर वक्त खरीद से ही रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी के संबंध मे रेस्पोडेन्ट नं0 9 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील संख्या 23/2000, सिंगारी बनाम शांति दायर की हुई है, जिसमें आगामी दिनांक 10.07.2018 नियत है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे अपील विचाराधीन होने से इस न्यायालय में विचाराधीन अपील पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल संख्या 516 दिनांक 18.09.1996 मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.05.1996 दर्ज व स्वीकार किया गया है। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.05.1996 को शून्य करार दिया गया है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 9 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील संख्या 23/2000 सिंगारी बनाम शांति दायर की गई है, जिसकी नकल भी पेश की गयी है, जिसमे आगामी तारीख 10.07.2018 नियत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

चूकि उक्त विवादित आराजी का बयनामा एवं नामान्तरकरण से संबंधित अपील माननीय उच्च (6) न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन है इसलिये न्यायालय हाजा मे उक्त अपील चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)